राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जैसलमेर

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाज के निर्धन,असहाय तथा विशेष योग्य जनों को लाभ पहुँचाने के उदेश्य से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों अनुसार निम्नानुसार योजनाओं का क्रियान्वयन एवं निर्देशन किया जा रहा हैः–

कसं	योजना का नाम	योजना का विवरण
1	छात्रावासों का संचालन	अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति , अन्य पिछडी जाति, विशेष पिछडी जाति के अध्ययनरत छात्रों को शिक्षा प्राप्ति हेतु आवास एवं भोजन वस्त्रादि की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों का जिले में संचालन किया जा रहा है। जिले में ग्राम खींया, रामगढ, नाचना प्रथम, नाचना II ,पोकरण ,रामदेवरा,झिनझिनयाली,फतेहगढ ,सांकडा , जैसलमेर I,जैसलमेर II व कन्या छात्रावास मोहनगढ, तथा कालेज स्तरीय कन्या छात्रावास जैसलमेर ।
2	आस्था योजना	40 प्रतिशत या इससे अधिक के विशेष योग्य जन जिनका एक ही राशन कार्ड मे नाम है तथा जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं है । ऐसे परिवारों को विभाग द्वारा आस्था कार्ड जारी कर उपलब्ध कराया जाता है। आस्था कार्ड धारी परिवार को बीपीएल परिवार के समकक्ष वे समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। सहायता हेतु आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा । आवेदन के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र ,मूल निवास प्रमाण पत्र,आय उदघोषणा पत्र,राशन कार्ड ,आधार कार्ड, बैंक खाता पास बुक ,विकलांगता दर्शाते हुए फोटो संलग्न करने होगें।
3	**विशेष योग्य जन को विवाह हेतु अनुदान**	40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्य जन युवक अथवा युवती जिनके परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रू. से अधिक नहीं है तथा युवक की आयु 21 व युवती की आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, को विवाह करने पर विभाग द्वारा 25 हजार रू. की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। सहायता हेतु आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा । आवेदन के साथ आवेदक का आधार कार्ड,मूल निवास ,विकलांगता प्रमाण पत्र,विवाह पंजियन प्रमाण पत्र, युवक व युवती के जन्म प्रमाण पत्र ,राशन कार्ड, आईडी /परिचय पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी ।
4	विशेष योग्य जन छात्रवृति	40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्य जन छात्र /छात्रा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक नहीं को विशेष योग्य जन छात्रवृति उपलब्ध कराई जाती है। इस हेतु उन्हें शाला के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों यथा विकलांग प्रमाण पत्र,गत वर्ष उत्त्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका,मूल निवास प्रमाण पत्र, अन्य कोई छात्रवृति प्राप्त न करने का प्रमाण पत्र,बैंक खाता पास बुक प्रति ,कोर्स फीस की मूल रसीद के साथ आवेदन करना होगा ।
5	मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना	40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्य जन के लिए प्रस्तुत की गई कार्य योजना की 50 प्रतिशत अनुदान राशि अधिकतम 50 हजार रूपये स्वीकृत कर उपलब्ध कराई जाती है। आवेदन के साथ आवेदक का आधार कार्ड,मूल निवास ,विकलांगता प्रमाण पत्र,युवक व युवती के जन्म प्रमाण पत्र ,राशन कार्ड, आईडी /परिचय पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी ।
6	विशेष योग्य जनों को संयुक्त सहायता	40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्य जन जिनका परिवार आयकर दाता नहीं है, उन्हें कृत्रिम अंग उपकरण जैसे बैशाखी,ब्रेल छडी,ट्राईसाईकिल,श्रवण यंत्र आदि उपलब्ध कराये जाते है।

<table>
<tr><td>7</td><td>विशेष योग्य जनों के लिए अनुप्रति योजना</td><td>संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित ई–मित्र पर ssdg पोर्टल पर ऑनलाईन करना होगा ।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>विधवा को पुत्री के विवाह हेतु सहायता</td><td>आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की विधवाओं को पुत्री के विवाह के लिए 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत विधवा के परिवार की वार्षिक आय 50 हजार से अधिक नहीं हो तथा उसने पुर्नविवाह नहीं किया हो ।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>सहयोग योजना</td><td>गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों/आस्था कार्ड धारी परिवारों को पुत्री के विवाह पर 10 हजार रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। विवाह योग्य पुत्री के 10 वीं उत्तीण होने पर 5 हजार तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर 10 हजार रूपये की अतिरिक्त अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। विवाह योग्य कन्या की आयु विवाह के दिन 18 वर्ष तथा युवक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए । सहायता हेतु आवेदक को विवाह पश्चात 6 माह की अवधि में आवश्यक रूप से ई–मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन को ssdg पोर्टल पर ऑनलाईन करवाना होगा । आवेदन के साथ बीपीएल चयनित प्रमाण पत्र/आस्था कार्ड,आवेदक का आधार कार्ड,वर वधु के जन्म प्रमाण पत्र,विवाह पंजियन प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र,राशन कार्ड,बैंक खाता पास बुक प्रति,वर व कन्या का आईडी /परिचय पत्र /आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति के साथ निर्धारित आवेदन प्रारूप में करना होगा । आवेदन संबंधित पंचायत समिति कार्यालय या जिला कार्यालय में जमा कराना होगा।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>डॉ0 सविता बेन अम्बेडकर अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना</td><td>राजस्थान के मूल निवासी युगल में से एक अनुसूचित जाति तथा दूसरा स्वर्ण हिन्दु या अन्य पिछडा वर्ग का हो विवाह करने पर विभाग द्वारा 5 लाख रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें 2.50 लाख रूपये बैंक खाते में जमा किए जायेंगें तथा 2.50 लाख रूपये की एफ0डी0 5 वर्ष के लिए बैंक में पति पत्नी के नाम से संयुक्त रूप से की जाऐगी।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>अनुप्रति योजना</td><td>अनुसूचित जाति,जन जाति, विशेष पिछडा वर्ग एवं सभी वर्ग के बीपीएल श्रेणी के संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं प्री मेडिकल/प्री इंजिनियरिंग/आई.आई.आई.टी/आई.आई.एम./क्लेट आदि प्रतियोगी परीक्षाएं उतीर्ण करनें एवं राज्य अथवा राष्टीय स्तर के संस्थानों में प्रवेश पाने वाले अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित ई–मित्र पर ssdg पोर्टल पर ऑनलाईन करना होगा ।
<table>
<tr><td>कसं</td><td>प्रतियोगी परीक्षा का नाम</td><td>प्रोत्साहन राशि</td></tr>
<tr><td>1</td><td>भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर</td><td>1.00 लाख</td></tr>
<tr><td>2</td><td>राजस्थान राज्य एवं अधिनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर</td><td>50 हजार</td></tr>
<tr><td>3</td><td>IIT , IIM ,राष्ट्रीय स्तर स्तर के संस्थान में प्रवेश होने पर</td><td>50 हजार</td></tr>
<tr><td>4</td><td>राज0इजिनियरिंग /मेडिकल कालेज में प्रवेश होने पर</td><td>10 हजार</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>12</td><td>उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना</td><td>अनुसूचित जाति ,जन जाति,अन्य पिछडी जाति,विशेष पिछडी जाति व आर्थिक पिछडी जाति के अध्ययनरत विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति उपलब्ध कराई जाती है। इस हेतु आवेदक को ऑनलाईन ई–मित्र केन्द्र पर आवेदन करना होगा ।</td></tr>
<tr><td>13</td><td>गाडिया लुहारों को महाराणा प्रताप मकान निर्माण अनुदान</td><td>ऐसे गाडिया लुहार जिनके पास रहने का आवास नहीं है उन्हे मकान निर्माण हेतु विभाग द्वारा 70 हजार रूपये 3 किश्तों में उपलब्ध कराये जाते है। शहरी क्षेत्र में नगर निकाय द्वारा 100 वर्ग गज एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्ग गज निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध कराया जाता है।</td></tr>
<tr><td>14</td><td>नवजीवन योजना</td><td>अवैध शराब के निर्माण ,भण्डारण एवं विक्रय में लिप्त व्यक्तियों या परिवार को उनके पुनर्वास</td></tr>
</table>

		हेतु ऋण एवं अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजनान्तर्गत ऐसे परिवारों के बच्चों को के लिए छात्रवृति योजना भी संचालित है।
15	बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा संचालित पालनहार योजना	0 से 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों,आजीवन कारावास प्राप्त माता–पिता की संतान,निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की संतान, पीडित माता/पिता की की संतान,कुष्ठ रोग पीडित माता/पिता की संतान ,नाता जाने वाली माता की संतान,विशेष योग्य जन माता /पिता की संतान ,तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला की संतान, को पालनहार योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाती है। योजना अन्तर्गत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 500 रूपये एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से सहायता प्रदान की जाती है। विधवा माता/नाता जाने वाली संतान के अलावा अन्य सभी पालनहारों को स्कूल यूनिफॉर्म,,जूते,मौजे आदि हेतु एक मुश्त 2 हजार रूपये वार्षिक अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत 2 वर्ष से अधिक उम्र के बालक बालिका का आंगनवाडी में तथा 6 वर्ष से अधिक उम्र के बालक बालिका का विद्यालय में अध्ययनरत होना आवश्यक है । योजनान्तर्गत आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित ई–मिन कियोस्क पर ssdg पोर्टल पर ऑन लाईन करवाना होगा । शहरी क्षेत्र के आवेदक आवेदन सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई कार्यालय डेडानसर रोड स्थित जिला कार्यालय जैसलमेर में तथा ग्रामीण क्षेत्र के संबंधित पंचायत समिति के कार्योलय में जमा करवायेंगें ।
16	मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना	सरकारी एवं अनुदानित शिशु गृहों के आवासियों / पालनहार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर 17 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को व्यवसायिक /तकनिकी या उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के अन्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में बाल अधिकारिता कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों यथा कोर्स फीस की रसीद,कोर्स की मान्यता का प्रमाण पत्र, अन्य कोई छात्रवृति प्राप्त करने का प्रमाण पत्र,बैंक खाता पास बुक ,आधार कार्ड, शिशु गृह या पालनहार योजना से जुडे होने का प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रतियों के आवेदन करना होगा ।

नोटः– **1–सहयोग योजना, पालनहार योजना,अनुप्रति योजना,विधवा की पुत्री विवाह के आवेदन पत्र तैयार करवाकर ई–मित्र केन्द्र/ अटल सेवा केन्दों पर ssdg पोर्टल पर ऑनलाईन करावें तथा स्वीकृति हेतु विकास अधिकारी या सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय जैसलमेर में जमा करावें । उत्तर मैट्रिक छात्रवृति आवेदन raj.pms पोर्टल पर ऑनलाईन करवावें।**

2– विभाग की विवाह संबंधी योजनाओं में विवाह के दिन वर की आयु 21 वर्ष व वधु (कन्या) की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

3– योजना की अधिक जानकारी सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग गांधी कालोनी जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र भवन स्थित जिला कार्यालय जैसलमेर से फोन नं 02992–252517 प्राप्त की जा सकती है। पालनहार व मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना की अधिक जानकारी सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई ,किशोर गृह देदानसर रोड स्थित कार्यालय फोन नं 02992–250542 से प्राप्त की जा सकती है।

सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जैसलमेर